कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928
ई–मेल : ce.hydel@uppcl.org
फोन नं0 : 0522–2288656

संख्या :565 /CE(Hydel)/PA-6/E-2/JK दिनाक : 01/04/2025

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न सहयोगी वितरण निगमों, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 एवं केस्को, कानपुर में कार्यरत निम्नांकित 40% कोटे के अन्तर्गत तकनीशियन कार्मिकों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–09 में अंकित डिस्कॉम में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धो के साथ प्रोन्नत कर आवंटित किया जाता है :–

40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत कार्मिकों का विवरण

S.No	Sen. No	Name	Sap ID	Father's Name	Home District	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	Present Discom	Allotted Discom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	CEHC-4245A	VIKASH KUMAR GUPTA	17700879	Sh. Om Prakash Gupta	Ghaziabad	28/12/1989	PVVNL, Meerut	PVVNL, Meerut
2.	CEHC-4246	RAJESH KUMAR YADAV	17402534	Sri Sunder Lal Yadav	Unnao	15/08/1976	Transco	Transco
3.	CEHC-4247	MURTAZA ALI KHAN	17702225	Sri Ahmad Ali Khan	Rampur	23/06/1981	PVVNL, Meerut	PVVNL, Meerut
4.	CEHC-4248	BRAJESH KUMAR	17400783	Shree Shiv Dayal Ram	Chapra (Bihar)	25/06/1990	Transco	Transco
5.	CEHC-4249	SATYAM SHRIVASTAVA	17803272	Heera Lal Shrivastava	Deoria	01/07/1984	PuVVNL, Varanasi	PuVVNL, Varanasi

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती हैः–

1. उक्त कार्मिको को अवर अभियन्ता के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात् नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग–अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :–
   (क) तकनीशियन कर्मी निलम्बित न हो।
   (ख) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
   (ग) कार्मिक के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
   (घ) कार्मिक के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
   (च) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरूद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
2. कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
3. सम्बन्धित डिस्काम/केस्को/ट्रॉस्को के प्रबन्ध निदेशक उपरोक्त आवंटित कार्मिक की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित/प्रोन्नत समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः........2

4. चयनित/प्रोन्नत कार्मिक के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।
5. नव–तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण–पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता(हा0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति नव तैनाती कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
7. उक्त चयनित अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।

(नोटः– उपरोक्त कार्मिक को तय समय–सीमा के अन्दर कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को ही जिम्मेदार माना जायेगा।)

निदेशक(का0प्र0 एंव प्रशा0)
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्याः565 /CE(Hydel)/PA-6/E-2/JK, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) की योगदान आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
7. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. कट फाइल।

01/04/25

(विक्रम नंगवार)
वैयक्तिक सहायक (षष्ठम्)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)